



ई-मेल/स्पीड पोस्ट
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, सांस्थनिक क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)
18, Institutional Area,
Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

एफ. 19029 / XI-5 / 2014-के0विसं0(सतर्कता)/3257-3265

दिनांक 17/02/2026

आदेश

केविसं के अधिशासी मंडल की दिनांक 27 फरवरी 2014 को आयोजित 97 वीं बैठक में किए गए अनुमोदन के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन (नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता इत्यादि) नियमावली 1971 की अनुसूची-II (समय-समय पर यथा संशोधित) में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में अपीलीय और पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन प्राधिकारी की शक्तियां, जो अब तक संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को प्रत्यायोजित की गई हैं, को तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संयुक्त आयुक्तों, जैसे और जहां लागू, को प्रत्यायोजित की जाती है, जिसका क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में संयुक्त आयुक्त का पद	आवंटित संभाग/जीट (ZIET) का नाम
1.	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)	तिनसुकिया, जम्मू, जबलपुर, लखनऊ, केविसं (मुख्यालय), जीट ग्वालियर और जीट भुवनेश्वर।
2.	संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)	भुवनेश्वर, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़, आगरा और जीट मुंबई।
3.	संयुक्त आयुक्त (शैक्षणिक)	अहमदाबाद, कोलकाता, रांची, दिल्ली, पटना, चेन्नई, जयपुर और जीट मैसूर।
4.	संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)	भोपाल, सिलचर, रायपुर, गुड़गांव, बेंगलूर, देहरादून, वाराणसी और जीट चंडीगढ़।

तदनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता इत्यादि) नियमावली 1971 की अनुसूची-II में उपर्युक्त अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन प्राधिकारी के रूप में संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के संदर्भ को भविष्य में केविसं के चार संयुक्त आयुक्तों में से उपर्युक्त सूची के अनुसार एक का संदर्भ होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


16.2.26

(लाल बहादुर शर्मा)
सहायक आयुक्त (सतर्कता)

वितरण:

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
2. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)
3. संयुक्त आयुक्त (शैक्षणिक)
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)
5. उपायुक्त, केवीएस, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
6. निदेशक, केवीएस, सभी जेड.आई.ई.टी.।
7. केवीएस (मुख्यालय), नई दिल्ली के सभी अधिकारी और विभाग।
8. सहायक आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) प्रकोष्ठ, केवीएस (मुख्यालय) - इस आदेश को केवीएस वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. गार्ड फाइल



ई-मेल/स्पीड पोस्ट
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, सांस्थनिक क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)

18, Institutional Area,
Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi-110016.

Tel.: 26858570 Fax 26514179

Website: www.kvsangathan.nic.in

F. 19029/XI-5/2014-KVS(Vig.) *3257-3265.*

Dated *17/02*/2026

ORDER

As approved by the Board of Governors of KVS in its 97th meeting held on 27.02.2014, in Schedule II of KVS (Appointment, Promotion, Seniority etc.) Rules 1971, as amended from time to time the powers of Appellate Authority and Revisioning & Reviewing Authority in the disciplinary cases against the employees of KVS, hitherto delegated to Joint Commissioner (Admn.) and as and where applicable, are delegated to the following Joint Commissions of KVS, in respect of the Regions/ZIETs as shown in the table given below, with immediate effect.

Sl. No.	Joint Commissioner in KVS (HQ)	Name of Region/ZIET allotted
1	Joint Commissioner (Admn.)	Tinsukia, Lucknow, Jammu, Jabalpur, KVS(HQ), ZIET Gwalior & ZIET Bhubaneswar
2	Joint Commissioner (Pers.)	Bhubaneswar, Ernakulam, Guwahati, Mumbai, Hyderabad, Chandigarh, Agra & ZIET Mumbai
3	Joint Commissioner (Acad.)	Ahmedabad, Kolkata, Ranchi, Delhi, Patna, Chennai, Jaipur & ZIET Mysore
4	Joint Commissioner (Trg.)	Bhopal, Silchar, Raipur, Gurgoan, Bangalore, Dehradun, Varanasi & ZIET Chandigarh

Accordingly, a reference to Joint Commissioner (Admn.) as Appellate / Revisioning / Reviewing Authority in aforesaid Schedule II of KVS (Appointment, Promotion, Seniority etc.) Rules 1971 shall henceforth be construed to mean one of the four Joint Commissioners of KVS listed above.

This issues with the approval of the competent authority

16.2.26

(Lal Bahadur Sharma)
Assistant Commissioner(Vigilance)

Distribution:

1. The Joint Commissioner (Admn.)
2. The Joint Commissioner (Pers.)
3. The Joint Commissioner (Acad.)
4. The Joint Commissioner (Trg.)
5. The Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
6. The Director, KVS, All ZIETs
7. All Officers and Sections in KVS(HQ), New Delhi.
8. The Assistant Commissioner, IT Cell, KVS(HQ) – for uploading this order on KVS website.
9. Guard file